राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 89/2014
दायरा तिथि 16.10.2014
निर्णय तिथि 08.06.2017

वादीगण– **बनाम:** **प्रतिवादीगण–**

स्व.आसीया पुत्र खसीया के कानु.–
1–पाबुराम पुत्र स्व.आसीयाजी
2–कुकाराम पुत्र स्व.आसीयाजी
3–भीमाराम पुत्र स्व.आसीयाजी
4–मगदानाराम पुत्र स्व.आसीयाजी
5–कन्यादेवी बेवा स्व.आसीयाजी
तमाम जाति मीणा निवासी खांगडी
तहसील सुमेरपुर

1–पुखराज पुत्र छोगाजी
2–नेमा पुत्र छोगाजी
3–मानाराम पुत्र तेजाजी
4–बगदा पुत्र तेजाजी
तमाम जाति मीणा निवासी खांगडी
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 08.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए निवेदन किया है कि सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 335/362 रकबा 1.44 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रू. 10.08 आयी हुई है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 01 लगाय 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं.03 लगाय 04 का 1/3 हिस्सा मुजब वादग्रस्त कृषि भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग खातों का इन्द्राज किए जाने तथा वादीगण के बंट–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय व डिक्री जारी फरमावे।

(2) कि कथित वाद पत्रावली पंजीबद्ध की गई। पर्याप्त अवसर के बावजूद प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने जवाबदरावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी सं.03 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज हाल जमाबंदी संवत् 2070–73 का अवलोकन परीक्षण करने पर वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है। फलतः प्रश्नगत् मामले में हमारे विधिक मतानुसार उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में खातेदारों अर्थात पक्षकारों के मध्य उनके खातेदारी हक–हिस्से मुजब तहसीलदार सुमेरपुर के मार्फत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने हेतु वाद स्वीकार व प्राथमिक डिक्री जारी करना उचित समझते है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का कथित वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रार्थनाओं के तहत स्वीकार एवं प्राथमिक डिक्री किया जाकर सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 335/362 रकबा 1.44 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रू. 10.08 के दारे में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं.01 लगाय 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं.03 लगाय 04 का 1/3 हिस्सा मुजब तहसीलदार सुमेरपुर के मार्फत खातेदारों अर्थात पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किए जाने हेतु निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में नियमानुसार प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में यथासमय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। निर्णय व प्राथमिक डिक्री–पर्चा की सत्यापित प्रतियां तहसीलदार सुमेरपुर के पास पालनार्थ भिजवायी जावे। साथिक निर्णय, प्राथमिक डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प– खिमाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner